

सूगला / दाजू

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
26.8.19	<p>पत्रावली पेश हुई / अतिमाध्य उभयपक्ष उप० / पत्रावली पर नए न्यायालय की ऑर्डर शीर दिनांक 10.10.13 की कोर्टो प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकार से संबंधित मूल वाद नोट प्रोसेस में खारिज का दिमा गया है /</p> <p>चूंकि जब मूल वाद का ही मिसाल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में नजरसानी का यह प्रा० पत्र इनके चसल हो चुका है /</p> <p>अतः नजरसानी का यह प्राथमिक इ-कैच-चसल (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज किया जाता है /</p> <p>प्रा० पत्र पत्रावली केसल सुमार है /</p> <p style="text-align: right;">26/8</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर